

INSTITUTE JOINT STAFF COUNCIL ELECTION 2020

मतदाताओं के लिये परामर्श

- सुगम मतदान के लिये यदि हो सके तो संस्थान द्वारा प्रदत्त फोटो युक्त परिचय पत्र साथ लायें, जिसमें कर्मचारी/ई.आर.पी. संख्या, पदस्थापन आदि की जानकारी होती है।
- मतदाता सूची की प्रति काजरी संयुक्त कर्मचारी परिषद् कार्यालय में उपलब्ध करवाई जायेगी। मतदान पूर्व अपनी मतदाता या ई.आर.पी. संख्या अवश्य ज्ञात कर लें। प्रशासनिक कार्यालय द्वारा जारी मतदाता सूची में वर्णित नामों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति काजरी संयुक्त कर्मचारी परिषद् के लिये मतदान नहीं कर सकेंगे।
- मतदाता द्वारा प्रशासनिक वर्ग में अधिकतम दो, तकनीकी वर्ग में दो तथा सहायक वर्ग में दो प्रत्याशियों के लिये किये गये निशान (मतदान) ही मान्य होंगे। सीमा से अधिक निशान वाले मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।
- मतदान पर सील अथवा सही (✓) का निशान प्रत्याशी के नाम के आगे वाले खाली (अंतिम) कॉलम के दायरे में ही लगा होना चाहिये। अन्य किसी भी स्थान पर लगायी गयी सील अथवा निशान मान्य नहीं होंगे। ऐसे मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।

प्रशासनिक व तकनीकी वर्ग मतपत्र

क्र.सं.	प्रत्याशी का नाम →	सील अथवा सही (✓) का निशान लगाने का स्थान
---------	-----------------------	---

सहायक वर्ग मतपत्र

क्र.सं.	प्रत्याशी	चुनाव चिन्ह →	सील अथवा सही (✓) का निशान लगाने का स्थान
---------	-----------	------------------	---

- निर्धारित स्थान पर सील या सही के निशान के अतिरिक्त, मतपत्र पर किसी भी जगह कोई भी अन्य निशान अथवा हस्ताक्षर आदि मान्य नहीं होगा। ऐसे मतपत्र रद्द समझे जायेंगे।
- डाक मतपत्र बंद लिफाफे में ही स्वीकार किये जायेंगे।
- संयुक्त कर्मचारी परिषद् आपकी अपनी प्रतिनिधि सभा है। इसके गठन के लिये किये जा रहे चुनाव में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।



निर्वाचन अधिकारी